



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2017/आषाढ़ 20, 1939

No. 275]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2017/ ASADHA 20, 1939

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 जून, 2017

सं. केका:मासंवि:औसंवि: 2017-18:116.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. (1) ये विनियम **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2017 कहे जाएंगे।
(2) जब तक संबंधित विनियमों में अन्यथा न कहा गया हो, ये विनियम माह नवंबर, 2007 के प्रथम दिवस से प्रभावी माने जाएंगे, सिवा उसके जो इन विनियमों में अन्यथा उल्लेखित हो।
2. **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 (इसमें इसके बाद कथित विनियम के रूप में उल्लिखित) में विनियम 3 में -
 - i. खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा-
'(एफ) 'परिवार' से अभिप्राय, अधिकारी का पति/पत्नी पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (आश्रित सौतेले और विधिपूर्वक गोद लिए हुए बच्चों सहित) चालीस प्रतिशत अथवा अधिक अपंगता के साथ अन्यथा सक्षम भाई अथवा बहन एवं अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित एवं आमतौर पर उसके साथ रह रहे उसके माता-पिता',
स्पष्टीकरण - इस खंड के उद्देश्य हेतु कोई बच्चा अथवा माता-पिता अथवा शारीरिक रूप से अपंग भाई बहन को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित तब माना जायेगा जब ऐसे बच्चों अथवा माता-पिता, भाई, बहन की आय रू. 3500/- प्रतिमाह से अधिक न हो',

यह भी कि माता-पिता में से किसी एक की आय रु. 3500/- प्रतिमाह से अधिक होने अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय रु.3500/- प्रतिमाह से अधिक होने,पर माता-पिता दोनों को ही अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

ii खंड (ओ) को हटा दिया जाएगा :-

3. कथित विनियमों के विनियम 4 में

(i) उप विनियम (4ए) हटाया जाएगा

(ii) हटाए गए उप विनियम (4ए) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :-

“(5) दिनांक 01 नवंबर, 2007, से प्रत्येक श्रेणी के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे:-

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII = रु.46800 – 1300/4-52000

वेतनमान VI= रु.42000 – 1200/4-46800

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V = रु.36200 – 1000/2 – 38200 - 1100/2 - 40400

वेतनमान IV= रु.30600 – 900/4 - 34200 - 1000/2 - 36200

(सी) मध्यम प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III= रु.25700 – 800/5 – 29700 - 900/2 - 31500

वेतनमान II= रु.19400 – 700/1-20100 - 800/10-28100

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I= रु.14500 – 600/7-18700 - 700/2 - 20100-800/7-25700

स्पष्टीकरण – दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को प्रभावी वेतनमान द्वारा शासित प्रत्येक अधिकारी का दिनांक 01 नवंबर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर नियतन किया जायेगा, संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण और उसके आगे सदृश चरणों में तथा वेतन वृद्धि सामान्य तौर पर प्रतिवार्षिक तिथि होगी जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो,

(6) उप विनियम (1)(2) (3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, यथा:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतन वृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर उपचित होंगी और ये उस महीने की पहली तारीख को प्रदान की जाएंगी, जिसमें देय होती होंगी।

(बी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के पश्चात पहुंचते हैं, वे उनकी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्णता पर चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक रु. 800 के एवं अगले दो प्रत्येक रु. 900 के होंगे:

लेकिन यह कि ऐसे अधिकारी जिन्हें दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को तीन अथवा अधिक वर्ष पूर्ण हो चुके हों, वे दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे एवं अन्य गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 1 नवम्बर, 2008 को अथवा उसके पश्चात, छः वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति करेंगे;

(सी) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में उच्चतर वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात पहुंचते हैं, वे उनकी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णता पर प्रत्येक रु. 900 प्रत्येक की तीन गतिरोध वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे;

लेकिन यह कि ऐसे अधिकारी जो पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को तीन अथवा अधिक वर्ष को पूर्ण कर चुके हैं, वे अगली गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से और परवर्ती गतिरोध वेतन वृद्धि उनकी पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात छः वर्ष पूरे हो जाने पर दिनांक 1 नवम्बर, 2008 को अथवा उसके पश्चात प्राप्त करेंगे;

आगे यह भी कि जो अधिकारी मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में पूर्णतः नियुक्त अथवा पदोन्नत हुए हैं, वे उनकी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णता पर रु. 900 प्रत्येक की तीन गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे अथवा :

यह भी कि जो अधिकारी दो गतिरोध वेतनवृद्धि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं एवं दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को तीन अथवा अधिक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वे दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे एवं चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 1 नवम्बर, 2008 को अथवा उसके पश्चात दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात छः वर्ष पूरे होने पर वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे।

विवेचना-इस उपनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान की गई ऐसी वेतनवृद्धियों का तात्पर्य पदोन्नति नहीं होगा और अधिकारी को उसके वास्तविक पद के अनुसार ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होंगे।

(बी) उप-विनियम (2) में,-

(i) विवेचना में, खण्ड (ई) के पश्चात एवं नोट के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड डाला जाएगा, यथा:-

“(एफ) नवम्बर, 2007 की पहली तारीख को एवं से, अन्य बातों के समान रहते हुए व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि निम्नानुसार संशोधित होंगी:-

तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाईड एसोशिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा उत्तीर्ण की हो	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु. 410 प्रति माह।
जिन्होंने सर्टिफाईड एसोशिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु. 410 प्रति माह। (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु. 1030 प्रति माह।

यह भी कि यदि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के पश्चात जूनियर एसोशिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाईड एसोशिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (एक अथवा दोनों पार्ट) की अर्हता प्राप्त करता है तो व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से एवं व्यावसायिक योग्यता वेतन की परवर्ती किस्त का भुगतान, व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के भुगतान की तिथि के आधार पर जारी किया जाएगा:

इसके अलावा ऐसे मामले जहां कोई अधिकारी, उक्त अर्हताओं में से कोई आहर्ता पहले ही हासिल कर चुका है परंतु ऐसी अर्हता हासिल करने पर किसी प्रकार की वेतन वृद्धि अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त नहीं किया उन्हें

दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि में से, जो भी बाद में हो, उन्हें व्यावसायिक योग्यता वेतन का भुगतान किया जाएगा.”;

(ii) खण्ड(v) के नोट में, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होगा, यथा:-

“(v) यदि कोई अधिकारी, दिनांक 27 अप्रैल, 2010 को खण्ड (iv) में संदर्भित उक्त अर्हताओं में से किसी की प्राप्ति पहले ही कर चुका है एवं ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर किसी वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्राप्ति नहीं की है, उसे दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि में से, जो भी बाद में हो, से व्यावसायिक योग्यता वेतन का भुगतान किया जाएगा.”;

(सी) उप-विनियम (3) में,-

(i) खण्ड (डी) के पश्चात एवं नोट के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(ई) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और से, अन्य बातें समान रहते हुए, आवास किराया भत्ते के साथ स्थिर वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दर से दिया जाएगा एवं ये संपूर्ण सेवाकाल के लिए स्थिर रहेगा:-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटक पर दिनांक 01.11.2007 से मंहगाई भत्ता (रु.)	कुल देय स्थिर वैयक्तिक वेतन जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है (रु.)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”

(ii) नोट में खण्ड(i) एवं (ii) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(i) खण्ड (बी),(सी),(डी) अथवा (ई) के अंतर्गत कॉलम (सी) की तालिका में इंगित स्थिर वैयक्तिक भत्ता अथवा स्थिर वैयक्तिक वेतन, उन अधिकारियों को भुगतान किया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए स्थिर वैयक्तिक भत्ता अथवा स्थिर वैयक्तिक वेतन, खण्ड (ई) की तालिका के कॉलम (ए) एवं (बी) में निर्दिष्ट राशि एवं संबद्ध अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित आवास किराया भत्ता के योग की राशि होगी जब विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) अथवा (5) में निर्दिष्ट संगत वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर ली गई हो.”;

(iii) नोट के पश्चात आने वाले खण्ड (ई) को उप-खण्ड (v) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा एवं संख्यांकित खण्ड (v) निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित होगा, यथा:-

“(v) कोई अधिकारी जो उक्त खण्ड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, उक्त खण्ड (बी), (सी), (डी) अथवा (ई) में किए उल्लेख के अनुसार स्थिर वैयक्तिक भत्ता/स्थिर वैयक्तिक वेतन की राशि आहरित करेंगे”;

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम(3) में, नोट हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम(4) में, नोट हटा दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम एवं नोट जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(5) नवम्बर, 2007 की पहली तारीख को और से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के 2836 बिंदुओं में प्रत्येक 4 बिंदु के बढ़ने अथवा घटने के लिए वेतन का 0.15% महंगाई भत्ता देय होगा।

विवेचना- इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए,-

(ए) महंगाई भत्ता के लिए “वेतन” से तात्पर्य गत्यारोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन से है;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के (सी), (डी), (ई) एवं (एफ) में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यवसायिक योग्यता वेतन, महंगाई भत्ते की गणना में किए जाएंगे।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) एवं (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(1) नवम्बर, 2002 की प्रथम तारीख को और से,

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वह जिस वेतनमान में हैं उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के समान अथवा आवास के लिए मानक किराया में से जो भी कम हो, के समान राशि उनसे वसूल की जाएगी;

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं की गई हो, वे निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे, यथा:

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय आवास किराया भत्ता होगा
(1)	(2)
(i) “ए” श्रेणी के प्रमुख शहर एवं ग्रुप ए में परियोजना केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग I के अन्य स्थान एवं समूह बी में परियोजना केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो वे जिस वेतनमान में हैं उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक राशि जिसका किराए के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया हों, के समान आवास किराया भत्ता देय होगा जो उपर्युक्त तालिका में देय आवास किराया भत्ते के अधिकतम 150 प्रतिशत के अधीन होगा।

(2) 1 नवम्बर, 2007 को और उसके बाद से

(ए) जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वह जिस वेतनमान में हैं, उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के समान अथवा आवास के लिए मानक किराया में से जो भी कम हो, के समान राशि उनसे वसूल की जाएगी।

(बी) जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास उपलब्ध नहीं की गई हो, वे निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे, यथा :

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) “ए” श्रेणी प्रमुख शहर तथा “ए” समूह में परियोजना केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग I में अन्य स्थान तथा समूह “बी” के परियोजना केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो वे जिस वेतनमान में हैं उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक राशि जिसका किराए के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया हो, के समानावास किराया भत्ता देय होगा जो उपर्युक्त तालिका में देय आवास किराया भत्ते के अधिकतम 150 प्रतिशत के अधीन होगा।

नोट : अधिकारियों द्वारा उनके मालिकाना आवास की लागत से संबद्ध आवास किराया भत्ता के दावों को भी अभी के अनुसार आवास किराया भत्ता के 150% तक सीमित रखा जायेगा जैसा अब तक है।

7. उपर्युक्त विनियमों के नियमन 23 में -

(i) उप-विनियमन (1) में, "नवम्बर, 2002 की पहली तारीख" के आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवम्बर, 2007 की पहली तारीख" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-विनियमन (2) में, "नवम्बर, 2002 की पहली तारीख" के आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवम्बर, 2007 की पहली तारीख" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप-विनियमन (3), (4) तथा (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किये जाएंगे:-

"(3) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह "ए" अथवा समूह "बी" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजना क्षेत्र में कार्यरत है तो, वह समूह "ए" अथवा समूह "बी" में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार रु. 290 प्रति माह अथवा रु. 255 प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक अथवा अधिक बच्चे उनके पूर्ववर्ती स्थान के स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वे स्थानांतरण अर्थात् बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक उन सभी बच्चों के संबंध में रु. 700/- प्रति माह की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्तों के पात्र होंगे परंतु यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद हो कर देते हो तो यह भत्ता भी समाप्त हो जायेगा।

(5) दिनांक 1 मई, 2010 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने अथवा बैंक के वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 2300/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते उसी स्थान पर पदस्थापना होने पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते हैं, को लेने का विकल्प दे सकता है।

परंतु यदि वह ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त होता है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहाँ वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पूर्व पदस्थ था तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 1200/- प्रति माह का प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

आगे यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम रु. 1200/- प्रति माह के प्रतिनियुक्त भत्ते के लिए पात्र होगा।

(iv) उप-विनियमन (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(8) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और उसके बाद से यदि कार्य दिवस का कार्यकाल न्यूनतम 2 घंटों के अंतराल में विभक्त होता है, तो अधिकारी रु.165/- प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।

(v) उप-विनियम (10) में -

(ए) "नवम्बर 2002 की पहली तारीख" के आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवम्बर, 2007 की पहली तारीख" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(बी) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी :

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर	वेतन का 2% अधिकतम रु. 550/- प्रति माह

से कम उँचाई वाले स्थान और मेरकरा टाउन	
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम उँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 2 ¹ / ₂ % अधिकतम रु. 680/- प्रति माह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक उँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 5% अधिकतमरु. 1570/- प्रति माह

8. उपर्युक्त कथित विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में खंड (ए) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ए) चिकित्सा व्यय-दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को और उसके बाद से स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु, कोई अधिकारी इस प्रकार व्यय की गई राशि के संबंध में स्वयं के प्रमाण पत्र एवं दावा की गई राशि के लेखा विवरण के आधार पर नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दावा राशि हेतु पात्र होगा :-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.5100/-अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो।
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 6320/- अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो।

नोट :- (i) एक अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता राशि को इस प्रकार संचित करने की अनुमति होगी जो कि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, 2 माह अर्थात् नवम्बर, 2007 तथा दिसम्बर 2007, के लिए अनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी।

विवेचना – इस विनियम के उद्देश्य के लिए,—

- (i) यदि अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, उन सभी मामलों में अधिकारी के संबंध में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के संबंध में 75% तक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ii) दिनांक 1 मई, 2010 को अथवा उसके बाद से, इस विनियम के अधीन अधिकारी को अस्पताल के खर्चों की प्रतिपूर्ति, कर्मकार कर्मचारियों के दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में भर्ती होने की योजना के नियम एवं शर्तों के अनुरूप होगी जो निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन की जाएगी :-

तालिका

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III	(i) विस्तर प्रभार स्वयं - रु.700/- प्रति दिन परिवार - रु. 525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार - कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का 125%
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और V तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI तथा VII	(i) विस्तर प्रभार स्वयं - रु.900/- प्रति दिन परिवार - रु. 675/- प्रति दिन

	(ii) अन्य प्रभार - कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का 150%
--	---

9. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 25 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा :

“(2) उप विनियम (1) में कुछ भी निहित होते हुए, दिनांक 1 नवम्बर 2007 से किसी भी अधिकारी को वह जिस वेतनमान में हो, उसके प्रारम्भिक मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के समान राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, के अधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर अधिकारी को आवास उपलब्ध कराने का बैंक का खुला अधिकार होगा।

यदि किसी अधिकारी को इस आवास पर फर्नीचर की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है तो जिस वेतनमान में वह अधिकारी हो, उसके प्रारम्भिक मूल वेतन का 0.25 प्रतिशत और वसूल किया जाएगा।

यह भी कि यदि इस प्रकार का आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो बिजली, पानी, गैस एवं संरक्षण का व्यय अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

10. उपर्युक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(3) दिनांक 1 मई, 2010 से, कुल 12 महीनों की अवधि के अंदर हिस्टरेक्टॉमी के लिए भी अधिकतम 45 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

11. उपर्युक्त विनियम के विनियम 41 के उप विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

‘(ए) विराम (हॉल्टिंग) भत्ता – दिनांक 1 मई, 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गयी तालिका के कॉलम नं. 1 में दी गयी संगत श्रेणी अथवा वेतनमान के अधिकारी इस तालिका के कॉलम नं. 2 में दी गयी संगत दर के अनुसार “प्रतिदिन” विराम भत्ता (हॉल्टिंग) के लिए पात्र होगा, यथा:-

तालिका

अधिकारी की श्रेणी/वेतनमान	‘ए’ श्रेणी के बड़े शहर	एरिया I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III	800	700	600

लेकिन वेतनमान IV एवं ऊपर के अन्यत्र स्थान पर कार्यरत अधिकारियों के मामलों में, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नै में प्रतिदिन देय “विराम” (हॉल्टिंग) भत्ता रु.1200/- की दर से होगा जबकि वेतनमान I अथवा II अथवा III के अधिकारियों को प्रतिदिन देय “विराम” (हॉल्टिंग) भत्ता रु.1000/- होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी कि यदि कुल अनुपस्थिति अवधि आठ घंटों से कम परंतु चार घंटों से अधिक है तो विराम (हॉल्टिंग) भत्ता उपर्युक्त दर की आधे दर से देय होगा।

विवेचना- विराम (हॉल्टिंग) भत्ते की गणना के उद्देश्य से “प्रतिदिन” से तात्पर्य हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से एवं अन्य मामलों में निर्धारित प्रस्थान से प्रारम्भ कर पहुंचने के वास्तविक समय तक प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसका भाग माना जाएगा।

12. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 42 में उप-विनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा:

“(4) माह मई, 2010 के प्रथम दिन से और उसके बाद से अधिकारी स्थानान्तरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा इत्यादि से संबंधित खर्चों के लिए निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट एक मुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, यथा:-

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9,000

13. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 44 के उपनियम (3) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा : -

“दिनांक 1 मई, 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधतंत्र श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी, अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का उपयोग करते समय वह न्यूनतम किराया इकाई श्रेणी में हवाई यात्रा के लिए पात्र होगा एवं ऐसे मामले में वास्तविक हवाई किराया अथवा तय की गई यात्रा की दूरी के लिए एसी प्रथम श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी एवं इसी प्रकार यह नियम मध्यम प्रबंधतंत्र श्रेणी के वेतनमान II व वेतनमान III के अधिकारियों के लिए भी अवकाश यात्रा रियायत सुविधा के उपयोग के समय लागू होंगे, यदि दूरी 1000 किमी से कम हो।”

14. उपर्युक्त विनियमन के नियमन 45 में

(i) उप नियमन (1) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“प्रावधान है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवा में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी।”

(ii) उप नियमन (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“(सी) वे अधिकारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत शामिल हैं और जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे।”

(iii) उप नियमन (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमन जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“(4) जो अधिकारी दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती होते हैं वे परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर होंगे, जिसमें अधिकारी वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करेगा तथा बैंक, भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नं. 5/7/2003-ईसीबी तथा पीआर दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 समय-समय पर यथा संशोधित के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का अंशदान करेगा।

15. कथित विनियमन की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी:

सेंट्रल बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 के उप विनियम 2 का संदर्भ लें)

दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से, अधिकारी नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र भत्ते को भुगतान हेतु तब तक पात्र होगा जब तक कि ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाते अथवा इनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से आशोधन नहीं किया जाता है।

तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 14,700/- से कम वेतन	रु. 14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
1.	मिजोरम		
	(ए) मिजोरम का चिम्पतुइपुइ जिला तथा मिजोरम के लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक की दूरी वाले क्षेत्र	2000	2600
	(बी) मिजोरम के लुंगली शहर से 25 कि.मी. से दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगली जिला	1600	2100
	(सी) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान , मध्यवर्ती अंडमान , छोटा अंडमान , निकोबार एवं नरकोण्डम द्वीपसमूह	2000	2600
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा		
	ए. त्रिपुरा के दुर्गम इलाके	1600	2100
	बी. दुर्गम इलाकों को छोड़कर, संपूर्ण त्रिपुरा	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके	2000	2600
	(बी) दुर्गम इलाकों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	जम्मू तथा कश्मीर		
	(ए) कठुआ जिला : निआवत बानी, लोही, मल्हार तथा मच्छोड़ी	2000	2600
	(बी) उधमपुर जिला : (i) डुडू बसंतगढ, लेण्डरभामग इलाका, भाग 2 (बी) में शामिल के अलावा अन्य इलाका.	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 14,700/- से कम वेतन	रु. 14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	(ii) कामबन की ओर से गुल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में केसई की ओर से अर्नाज तक के क्षेत्र	1600	2100
	(सी) डोडा जिला : किशतवार तहसील में पड्डेर एवं निआबत नौगाँव के इलाके	2000	2600
	(डी) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	2000	2600
	(इ) बारामुला जिला : (i) संपूर्ण गुरेज - निआबत, तंगधार सब डिविजन और केरन इलाका (iii) मच्छिल	2000 1600	2600 2100
	(एफ) पुंछ एवं राजौरी जिले : कस्बों एवं सुंदरबनी तथा दोनो जिलों के अन्य शहरी इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी दोनो जिलों के इलाके।	1200	1500
	(जी) ऐसे क्षेत्र जो उपर कॉलम (ए) से (एफ) में शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु जो वास्तविक नियंत्रण सीमा के 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं अथवा ऐसे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते हैं।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(ए) चम्बा जिला (i) पंगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें : बड़गांव, बाजोल, देवल कुगटी, नयागाम और टुंडा, गाँव : ग्राम पंचायत जगत का गाँव, घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनारसी गाँव. (ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त भाग (i) में शामिल पंचायतों एवं गाँवों को छोड़कर	2000 1600	2600 2100
	(iii) भाटीयात तहसील में झाण्डरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत सहित)	1200	1500
	(बी) किन्नौर जिला : (i) असरांग, चितकुल और हंगोकूनो/ चरांग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा तथा रुपी ग्राम	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 14,700/- से कम वेतन	रु. 14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	पंचायतें शामिल हैं, उपर्युक्त वर्णित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर पूह सबा डिविजन (ii) उपर्युक्त (ए) में शामिल इलाकों को छोड़कर संपूर्ण जिला	1600	2100
	(सी) कुल्लू जिला : (i) निर्मंड तहसील का खडगा, कुशवार एवं सरगा ग्राम पंचायत के 15/20 क्षेत्र. (ii) आउटर सेराज (निरमांड तहसील में जकात-खाना तथा बुरों के गांवों को छोड़कर) आउटर सेराज तथा पंद्राबीस परगना को छोड़कर, परंतु निरमांड तहसील के जगत-खाना एवं बुरों गांव शामिल करते हुए संपूर्ण जिला. (डी) लाहौल तथा स्पीती जिला : लाहौल तथा स्पीती का संपूर्ण जिला	2000 1200 2000	2600 1500 2600
	(ई) शिमला जिला : (i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपरा एवं चाडी-ब्राण्डा पंचायतें शामिल हैं.	2000	2600
	(ii) डोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील एवं सराहां परगना के मुनीश, घोरी चायबिस (iii) चोपाल तहसील एवं सराहां परगना के घोरिस, पंजगांव, पत्सनाउ, नौबीस एवं तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, रामपुर तहसील का परगना बड़ाबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कसबा रामपुर तथा घोरी नोग, शिमला टाउन तथा इसके उप नगर (ढल्ली, जटोग, कासुमपत्ती, माशेब्रा, तारादेवी और टूट)	1600 1200	2100 1500
	(एफ) कांगड़ा जिला : (i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के इलाके	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि धर्मशाला टाउन में शामिल किए गए हैं - वूमन्स आईआईटी, दारी, मैकेनिकल वर्कशाप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशाप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 14,700/- से कम वेतन	रु. 14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	<p>फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. सब-डिवीजन, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर.</p> <p>पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि पालमपुर टाउन में शामिल किए गए हैं - एच.पी. कृषि, विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/ जर्सी फार्म, बानुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो जर्मन कृषि, वर्कशॉप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रीकल सब-डिवीजन, लोहना, डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुन्दल, इलेक्ट्रीकल एचपीएसईई डिवीजन, घुग्गर.</p>		
	<p>(जी) मंडी जिला :</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहर घाटी, बागरा तहसील में थुनाग की पंचायतें, चत्री, छोटघर, गारागुशैन, गादू, गरयास, जांजेली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवान, खोलानल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधर,ताची, थान, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें- बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार एवं तारखोला, करसाँग तहसील की पंचायतें - बालीधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, माहोग, मेहूदी, मंज, पेखी, साइंज, सरहान एवं तिवान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बट्वारा, धनीयारा, पौरा कोठी, सेरी एवं शोजा.</p> <p>(एच) सिरमौर जिला :</p> <p>बानी की पंचायतें, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पौन्टा तहसील), बिल्ला (नहान तहसील), दिब्बर (पाछड़ तहसील) एवं थाना कासोगा (नहान तहसील) तथा तांसगिरी ट्रैक्ट</p>	<p>1200</p> <p>1200</p>	<p>1500</p> <p>1500</p>
	<p>(आई) सोलन जिला :</p> <p>मंगल पंचायत</p> <p>(जे) उपर्युक्त (ए) से (आई) में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाके</p>	<p>1200</p> <p>320</p>	<p>1500</p> <p>400</p>
13.	<p>उत्तराखंड</p> <p>चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत जिले के तहत इलाके</p>	<p>2000</p>	<p>2600</p>

व्याख्यात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियम जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभावित किया गया है, वे इस संबंध में विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष अधिकारी संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के सहमत नियमों एवं शर्तों के अनुरूप हैं। अतः पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण किसी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी. अशोक, महाप्रबंधक – मासंवि

[विज्ञापन III/ 4/असा. /142/17]

नोट : मूल विनियम, शासकीय राजपत्र में दिनांक 1 जुलाई, 1979 को प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से परवर्ती संशोधन अधिसूचित किए गए थे, यथा:-

क्रम संख्या	राजपत्र अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	43	24.10.1987
2	16	21.04.1990
3	43	25.10.1996
4	37	13.09.1987
5	42	20.10.2001
6	26	28.06.2003
7	79	15.05.2006
8	115	29.07.2006
9	361	11.12..2014

CENTRAL BANK OF INDIA**(CENTRAL OFFICE)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th June, 2017

No.CO:HRD:IRP:2017-18:116 -In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the **Central Bank of India** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the **Central Bank Of India** (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the **Central Bank Of India** (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the **Central Bank Of India** (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
 - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5-- 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),-
- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

- (ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

- (c) in sub-regulation (3),-
- (i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v)An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1)on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

- (4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;
- (v) in sub-regulation (10),-
- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;
- (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding

rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major `A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000".

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.".

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.";

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.";

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to **Central Bank of India (Officers’) Service Regulations, 1979**

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimpitpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	a. Difficult areas of Tripura	1600	2100
	b. Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh (b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	2000 1600	2600 2100
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b). (ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	2000 1600	2600 2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua (ii) Matchill	2000 1600	2600 2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh (a) Chamba District (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	2000 1600	2600 2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikheth proper).	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	<p>(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	1200	1500
	<p>(g) Mandi District:</p> <p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p> <p>(h) Sirmaur District:</p> <p>Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract</p>	1200	1500
	<p>(i) Solan District :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	1200	1500
	<p>(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.</p>	320	400

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600''

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

B. ASHOK, GENERAL MANAGER – HRD

[ADVT.III/4/Exty./142/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on 1ST day of July, 1979 and subsequently amended vide following notifications, namely:-

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date.
1	43	24.10.1987
2	16	21.04.1990
3	43	25.10.1996
4	37	13.09.19987
5	42	20.10.2001
6	26	28.06.2003
7	79	15.05.2006
8	115	29.07.2006
9	361	11.12.2014